


26.08.2025 ^{अनुपस्थित} वकिल वादीगण ^{अनुपस्थित} न्यायालय समय
की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकिल मय
वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकिल
व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी व अदम
हाजिरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर शाखिल
दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

निदेशिका / प्र. सं. १५५ का. १९७४ के तहत
निदेशिका / प्र. सं. १५५ का. १९७४ के तहत
निदेशिका / प्र. सं. १५५ का. १९७४ के तहत
निदेशिका / प्र. सं. १५५ का. १९७४ के तहत